कार्यालय निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांकः 12/1–2017 प्र0(3)　　　　　　दिनांकः पंचकूला 18.12.2018

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारी /अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित मामले मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रसतुत करने बारे प्राप्त पत्र क्रमांक 34/113/2018–4जी.एस.। दिनांक 21/12/2018 निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. हरियाणा राज्य स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय।
3. एन0सी0सी0 यूनिटों के सभी कमान अधिकारी।
4. पुस्तकाध्यक्ष, सैन्ट्रल स्टेट लाईब्रेरी, अम्बाला कैन्ट तथा सभी जिला एवं उपमण्डल पुस्तकालय ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

अधीक्षक प्रशासन
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला ।

पृष्ठांकन क्रमांक : –सम–　　　　　　दिनांकः पंचकूला 30-1-2019

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशालय के सभी अधिकारी/शाखाध्यक्ष ।
2. निजि सचिव/महानिदेशकउ0शि0, स्टैनो अति0नि0 प्र0
3. प्रशासन शाखा के सभी सहायक ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

अधीक्षक प्रशासन,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला ।

हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

विषयः– कर्मचारियों/अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित मामले मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने बारे।

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देगें ?

2. सामान्य प्रशासन विभाग के ध्यान में लाया गया है कि प्रायः देखने में आया है कि कर्मचारियों/अधिकारियों की पुनर्नियक्ति से सम्बन्धित मामले उनकी पुनर्नियुक्ति की तिथि से काफी समय बाद अनुमोदन/घटनोत्तर अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं। कई मामलों में तो पुनर्नियक्ति की अवधि सम्पूर्ण होने वाली होती है।

3. दिनांक 15.11.2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मामले पर गंभीरता से विचार–विमर्श करते हुए, मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों/अधिकारियों की पुनर्नियक्ति से सम्बन्धित ऐसे मामले जिनमें मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता है, उन मामलों को 2 माह के अन्दर–अन्दर या मंत्रिपरिषद की आगामी 2 बैठकों, जो भी पहले हो की समय सीमा में मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों में मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृप्या अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस मे अनुपालना के लिए ला दें।

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।

अशां कमांकः–34/113/2018–4जी0एस0I — दिनांक, चण्डीगढ 21 दिसम्बर, 2018

इसकी एक प्रति सचिव, मन्त्रीपरिषद, हरियाणा को उनके अशां कमांक 10/11/2011–2 कैबिनेट, दिनांक–26 नवम्बर, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है।

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सचिव, हरियाणा सरकार,
(कैबिनेट शाखा) ।

अशां कमांकः–34/113/2018–4जी0एस0I — दिनांक, चण्डीगढ 21 दिसम्बर, 2018